न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प खेड़
पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

अपील संख्या 02/2018

अपीलान्ट — **बनाम** — **रेस्पोडेन्ट**

पूनमदेवी पत्नि कमलेश कुमार संकलेचा जैन साकिन पचपदरा

1. हरजी पुत्र सूरता भाट साकिन सांभरा तहसील पचपदरा
2. ग्राम पंचायत सांभरा जरिये सरपंच /ग्राम सेवक (ग्राम विकास अधिकारी) सांभरा

अपील बरखिलाफ म्युटेशन प्रविष्टि क्रम संख्या 518 दिनांक 20.02.2018 ग्राम पंचायत सांभरा द्वारा म्युटेशन अस्वीकृत किया गया।

उपस्थित

अपीलान्ट मय वकील

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2

आदेश

दिनांकः 14.06.2018

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सांभरा के खेत खसरा संख्या 269/134 रकबा 50 बीघा रेस्पोडेन्ट नंवर 01 हरजी के खातेदारी की थी । राजस्व रेकर्ड खतौनी संख्या 133 में उसका नाम वतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज है ।

उपरोक्त भूमि मे से अपीलान्ट ने 03 वीघा (हिस्सा 3/50) जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा दिनांक 15.12.2017 के खरीद किया जो दस्तावेज पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 212 पृष्ठ संख्या 142 पर क्रम संख्या 201703082102024 पर पंजीवद्ध किया गया । पटवारी हल्का ने दिनांक 20.12.2016 को नामान्तरकरण खोल कर ग्राम पंचायत सांभरा के समक्ष म्युटेशन पारित करने हेतु पेश किया जिस पर ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.02.2018 को अस्वीकृत कर दिया । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने आलौच्य म्युटेशन अस्वीकृत करने में भारी कानूनी व वाक्याति भूल की है । जिसके आलौच्य म्युटेशन काविल निरस्त किये जाने योग्य है । जवकि क्रेता के पक्ष में बेचान रजिस्ट्री अस्तित्व में है तव तक क्रेता के खातेदारी हक समाप्त नहीं होते । रेस्पोडेन्ट नंबर 02 को उक्त पंजिबद्व बेचाननामा की विधिकता को परख करने का कोई क्षैत्राधिकार नहीं है । बेचान की विधिकता वावत् सिर्फ सिविल न्यायालय ही जांच करने को सक्षम है । जिससे आलौच्य म्युटेशन आदेश काविल निरस्त किये जाने योग्य है । आलौच्य म्युटेशन पारित करने से पूर्व पक्षकारान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । ग्राम पंचायत का अलौच्य आदेश अवैध व शून्य है । आलौच्य म्युटेशन का ज्ञान दिनांक 02.04.2018 को प्रमाणित प्रतिलिपी अपीलान्ट को प्राप्त होने पर प्रथम बार हुआ जिसे अपील अन्दर म्याद है ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकृत फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट नंबर 2 का आदेश रद्द व मंसुख कर अपीलान्ट के नाम बेचाननामा के आधार पर म्युटेशन पारित करने का हुक्म प्रदान करावें ।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हरजी ने अपना जवाब दिनांक 0305.2018 को कैम्प कोर्ट सांभरा में पेश किया व अपील के तथ्यों का समर्थन किया तथा अपीलान्ट के पक्ष में पद संख्या 2 के माफिक बेचाननामा निस्पादित कर कब्जा सुपुर्द करवा देना स्वीकार किया । अपीलान्ट बेचाननामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम की प्रविष्टि म्युटेशन पारित करवाने का अधिकारी है । मेरे द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में पंजिबद्व बेचाननामा निष्पारित किया है । उक्त भूमि का कब्जा अपीलान्ट को सुपुर्द कर दिया है । अपीलान्ट स्वयं के नाम की प्रविष्टि करवाने का अधिकारी है इस बाबत् मुझ रेस्पोडेन्ट 01 को कोई उजर ऐतराज नहीं है । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सांभरा ने कैम्प कोर्ट खेड़ मे जवाब पेश कर जाहिर किया कि ग्राम पंचायत पंचायत सांभरा का गठन 19.03.2014 में हुआ जिससे राजस्व ग्राम खेड़, कलावा,राताडाड़ा एवं सांभरा थे उस समय से अब तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हरजी वल्द सुरता भाट निवासी खेड़ के नाम से ग्राम पंचायत सांभरा मे कोई रेकड या दस्तावेज नहीं है अर्थात् निवासी नहीं है । ग्राम पंचायत खेड़ द्वारा राशनकार्ड गलत बनाया । आवंटन अन्य व्यक्ति हरजी वल्द सुरता भील सांभरा को होना बताया । उपरोक्त कूटरचित तरीके से फर्जी दस्तावेज के आधार पर खसरा नंबर 269/134 रकबा 50 बीघा भूमि का गलत बेचान किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 518 ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.02.2018 को सर्व सम्मति से अस्वीकार किया ।

हमनें पत्रावली व दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया । रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हरजी ने अपील जवाब में बेचान करना स्वीकार किया व अपील संख्या 04/18 में भामाशाह,राशनकार्ड,आधार कार्ड,पेन कार्ड की छाया प्रतियां पेश की है। जमाबंदी नकल व पंजिबद्व बेचान दस्तावेज की छाया प्रतियां पेश की है,जिससे जाहिर है कि हरजी पुत्र सुरता भाट ने खातेदारी भूमि का बेचान अपीलान्ट को किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया है । ग्राम पंचायत को पंजीबद्व दस्तावेज बेचाननामा की विधिकता को परख करने का कोई क्षैत्राधिकार नहीं है । बेचान कर्ता को बिना सुने ही म्युटेशन अस्वीकार किया जो की Nalural Law of Justice की अवहेलना है । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का आदेश अवैध व शून्य है । हमने स्वयं ने मजमे आम मे पूछताछ की तथा चर्चा की गई । बेचान दस्तावेज सही होना स्वीकार किया ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचात सांभरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 518 पर दिये गये आदेश दिनांक 20.02.2018 को अपास्त किया जाकर पटवारी हल्का निर्देश दिये जाते है कि पंजीबद्व दस्तावेज (बेचाननामा) के आधार पर नया नामान्तरकरण पारित कर संबंधित सर्किल अधिकारी के समक्ष पेश करें ।

आदेश आज दिनांक 14.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प खेड़ मे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.. २६३

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

Scanned by CamScanner